राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक.प. 11(1) वन/92/ जयपुर, दिनांक 18-2-2000

::अधिसूचना::

===0===

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या-53 सन् 1972) की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने अधिकारिक क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची-II के पार्ट-I में उल्लेखित लाल मुँह के बन्दर (Rhesus Macaque) एवं हनुमान लंगूर (Presbytis-entellus) सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

ह0/-

(एस0 अहमद)

शासन सचिव, वन.

638

15-3-2000

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, वन मन्त्री महोदय।
2- निजी सचिव, शासन सचिव, वन।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रा0, जयपुर।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, रा0, जयपुर।
5- अति0प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, रा0, जयपुर।
6- समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
7- समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक------------
8- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
9- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय को दो प्रतियों मे असाधारण राजपत्र मे प्रकाशित करने हेतु।
10- रक्षित पत्रावली।

ह0

(लक्ष्मण सिंह)

उप शासन सचिव, वन.

कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन्य जीव संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रति., रा0, जयपुर/

क्रमांक/एफ3(ग)तक/मुवजीप्र/99/ 1354-454 दिनांक: 8-3-2000

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- समस्त जिला कलेक्टर्स ----------------------------
2- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक----------------------------
3- समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक--------------------
4-समस्त मुख्य वन संरक्षक/समस्त वन संरक्षक--------------------
5-समस्त संभागीय आयुक्त--------------

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,

राजस्थान, जयपुर।